

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| 23.11.20 | <p>मोईनूदीन उवेशी बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 207 / 2020</p> <p>अपीलार्थी मोईनूदीन उवेशी, पता एक मीनार मस्जिद के पास, आडा बाजार, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.09.2020 में उसके द्वारा (1) मेरी प्रार्थना पर मीटिंग में आपको जिलाधीश महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में आपने दिनांक 09.02.2017 को अपने पत्रांक संख्या सामान्य/वक्फ/2017/102 के जरिये निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर को जोधपुर तहसील शहर में स्थित समस्त वक्फ सम्पतियों कब्रिस्तानों से संबंधित सर्व कार्यवाही उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया था उस पत्र पर आज तक क्या कार्यवाही हुई, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> | |

